संख्या-22/2015/651/60-1-15-1/13(64)/07

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2015

विषय:- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित अधिनियम-2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजकीय पाश्चातवर्ती देखरेख संगठन (किशोर) शाहजहापुर तथा सीतापुर हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयर्क्त संबंध में प्रेषित आपके पत्र संख्या-199निदे0म0क0 स्था0निरन्तरताविविध-232015-16, दिनांक 06.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र में उलिलखित अनुरोध के क्रम में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित अधिनियम-2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजकीय पाश्चातवर्ती देखरेख संगठन (किशोर) शाहजहापुर तथा सीतापुर हेतु निम्नलिखित सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता 28.02.2016 तक बढ़ाये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यह पद इससे पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जायें:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से लागू	
				वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक	02	5000-8000	9300-34800	4200
2.	वरिष्ठ लिपिक (प्रति संस्था -02)	04	4000-6000	5200-20200	2800
3.	पर्यवेक्षक	02	3200-4900	5200-20200	2800
4.	कनिष्ठ लिपिक	02	3050-4590	5200-20200	2000
5.	स्टोर कीपर	02	2550-3200	5200-20200	1800
6.	क्हार	02	2550-3200	5200-20200	1800
7.	रसोईया	02	2550-3200	5200-20200	1800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	परिचर/सहायक	04	2550-3200	5200-20200	1800
9.	स्वीपर (प्रति संस्था -02	02	2550-3200	5200-20200	1800
10	प्रशिक्षक (नियत वेतन त्रिपालछोलदारी)	02	2500 प्रति माह	---	---
11	प्रशिक्षक (नियत वेतन रंगाईपुताई)	02	2500 प्रति माह	---	---
12	अंशकालिक चिकित्सक	02	1000 प्रति माह	---	---
	योग	28			

3. उक्त पद धारकों को सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 02- आयोजनेत्तर-समाज कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-महिला कल्याण निदेशलय की संबंधित इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद),
उप सचिव।

संख्या-22/2015/651(1)/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथमआडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 ।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in